अधिसूचना संख्या 178/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1965(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2545 (ई) दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के साथ पठित स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) के तहत जारी की गई केंद्र सरकार ने क्रमांक 6 पर, "नाना पालकर स्मृति समिति परियोजना चिकित्सा रोगियों के लिए, मुंबई" नाना पालकर स्मृति समिति, रुग्ना सेवा सदन, 158 रुग्ना सेवा सदन मार्ग, डॉ. अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई 400012 द्वारा, वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था और जिसे *आगे* अधिसूचना एस.ओ. सं. 1079 (ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह साल से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (क) एतद्द्वारा "नाना पालकर स्मृति समिति चिकित्सा रोगियों के लिए परियोजना, मुंबई" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है जिसे "नाना पालकर स्मृति समिति, रुगना सेवा सदन, 158 रुगना सेवा सदन मार्ग, डॉ. अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई 400012" द्वारा अनुमोदित लागत 9.71 करोड़ रुपये में किसी भी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए *अर्थात* 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

■■